

बिहार सरकार
गृह विभाग
अभियोजन निदेशालय

कार्यालय आदेश संख्या.....229..... / 2025

सं०सं० अ०नि० (02) 43 / 2025 / नि०सं०

श्रीमती कुमारी सुस्मिता, अभियोजन पदाधिकारी, जिला अभियोजन कार्यालय, सुपौल को वित्त विभाग के अधिसूचना संख्या 640 दिनांक 19.01.2015 द्वारा यथा संशोधित बिहार सेवा संहिता के नियम-220A के प्रावधानों के अन्तर्गत दिनांक 10.11.2025 से 31.01.2026 तक कुल 82(बेरासी) दिनों के शिशु देखभाल अवकाश की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. इसमें सचिव, गृह विभाग, बिहार, पटना का अनुमोदन प्राप्त है।

ह० / -

(सुधांशु कुमार चौबे)

विशेष सचिव-सह-प्रभारी निदेशक।

ज्ञापांक अ०नि० (02) 43 / 2025 / नि०सं०.....

दिनांक.....

प्रतिलिपि:- जिला पदाधिकारी, सुपौल / मुख्य अभियोजक, सुपौल / प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना / श्रीमती कुमारी सुस्मिता, अभियोजन पदाधिकारी, जिला अभियोजन कार्यालय, सुपौल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह० / -

विशेष सचिव-सह-प्रभारी निदेशक।

ज्ञापांक अ०नि० (02) 43 / 2025 / नि०सं०...2223

दिनांक...12/10/25

प्रतिलिपि:- प्रोग्रामर, अभियोजन निदेशालय, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

विशेष सचिव-सह-प्रभारी निदेशक।